

सेवामें.

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

छबड़ा जिला बारां(राज.)

विषय:- अधिसूचना छबड़ा अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत् महोदय.

उपरोक्त विषय के कम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। अधिसूचना के अनुसरण में प्रार्थी मूठ पिता भारत के नाम पटवार मण्डल बोपर के राजस्व ग्राम बावडी में वर्तमान रॉटेशन जमाबंदी के खाता सं. 57 पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छबड़ा के नाम रहन दर्ज रेकॉर्ड है, जिसे अधिसूचना अनुसार राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा छबड़ा दर्ज करवाने की कृपा करे।

दिनांक 27/9/25

मूठि
हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवार हल्का बोपर तहसील छबड़ा जिला बारां(राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छबड़ा का विलय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा छबड़ा में कर दिये जाने से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

मू-अभिलेख निरीक्षक
वृत्त 27/9/25

पटवारी बोपर
पटवार हल्का बोपर
दिनांक

कार्यालय तहसीलदार तहसील छबड़ा, जिला- बारां (राज.)
कमांक:राजस्व/2025/

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं मूअभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छबड़ा के बजाय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा छबड़ा किया जाना उचित है।

तहसीलदार (मू.अ.)
जिला बारां (राज.)
तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)
दिनांक 27-9-25

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां(राज.)
कमांक:राजस्व/2025/158/25

हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा के राजस्व रेकार्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का बोपर राजस्व रेकार्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा
जिला बारां (राज.)